(15)

तत्काल / समयसीमा

मध्यप्रदेश शासन
गृह (सी–अनुभाग) विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 44–07 / 2015 / दो / सी–2, भोपाल दिनांक 26 / 9 / 2015

प्रति,

1– समस्त जिला दण्डाधिकारी,
2– समस्त पुलिस अधीक्षक,
3– समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी,
मध्यप्रदेश.

विषयः म0प्र0 अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत अम्ल (तेजाब) हमले के मामले के पीड़ित / पीड़िता को 15 दिवस के अंदर सहायता राशि का भुगतान।

राज्य में घटित अम्ल हमले के मामलों की समीक्षा से यह बात प्रकाश हुई है कि जिला स्तर पर पर्याप्त बजट उपलब्ध होने के बावजूद भी योजना में सलग्न अनुसूची के सरल क्रमांक 6 (क) एवं (ख) में निर्धारित समय 15 दिवस एवं 02 माह के अंदर सहायता राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि योजना के बिन्दु कमाक–4 में निगरानी के लिए बनाई गई जिला स्तरीय समिति से ही उपरोक्त प्रकरणों का अनुमोदन चाहा जा रहा है जो पूर्णतः योजना की मंशा के विपरीत है।

2/– अतः यह निर्देशित किया जाता है कि योजना की कंडिका 6 (1), (2), एवं 07 (3) के प्रावधानों के अनुसार प्रतिकर की राशि का निर्धारण करना एवं प्रतिकर प्रदाय करने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी की है और उसी स्तर पर निर्णय समय से लिया जाकर सहायता राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाये। इसमें किसी प्रकार के विलंब को बहुत ही गंभीरता से लिया जायेगा।

(डी0पी0गुप्ता)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
गृह (सी–अनुभाग) विभाग

निरन्तर ...2

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 140]   भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 मार्च 2015—चैत्र 10, शक 1937

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015

मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015

क्र. 1686-2015-दो-सी-1.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 357-क की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा केन्द्र सरकार के साथ मिलकर ऐसे अपराध पीड़ितों या उनके आश्रितों को, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति कारित हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, प्रतिकर के प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध कराने और प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चय करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:—

योजना

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.—**

(क) इस योजना का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 है.

(ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.

(ग) यह योजना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी.

2. **परिभाषाएं.—**

इस योजना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''आवेदक'' से अभिप्रेत है, पीड़ित या पीड़ित का कोई आश्रित, जो प्रतिकर के लिए आवेदन करता है;

(ख) ''संहिता'' से अभिप्रेत है, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2);

(ग) ''निधि'' से अभिप्रेत है, कंडिका 03 के अधीन गठित पीड़ित प्रतिकर निधि;

(घ) ''क्षति'' से अभिप्रेत है, इस योजना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई क्षति;

(ङ) ''हानि'' में सम्मिलित है किसी सम्पत्ति को कोई हानि जो अभियुक्त की ओर से किए गए किसी आपराधिक कृत्य अथवा लोप के कारण हुई क्षति के परिणामस्वरूप हुई हो;

(च) ''अपराध'' से अभिप्रेत है, कोई कृत्य अथवा लोप जिसे तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा दण्डनीय बनाया गया हो और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कृत्य भी सम्मिलित है, जिसके बारे में पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (क्रमांक 1 सन् 1871)की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है;

(छ) ''परिवीक्षा अधिकारी'' से अभिप्रेत है, कोई परिवीक्षा अधिकारी जिसकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा प्रोबेशन ऑफ औफेन्डरस् एक्ट, 1958 (1958 का 20) की धारा 13 के अधीन की गई है;

(ज) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इस योजना से संलग्न ''अनुसूची''

(झ) ''राज्य'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य;

(ञ) ''पीड़ित'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसे अभियुक्त के आपराधिक कृत्य या लोप के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है और ''पीड़ित'' पक्ष के अन्तर्गत उसका संरक्षक या विधिक वारिस भी है किन्तु इसमें ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित नही है जो ऐसे व्यक्ति को क्षति के लिए उत्तरदायी हो;

(ट) ''आश्रित'' से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित हैं पीड़ित की पत्नी, पति, पिता, माता, अविवाहित पुत्री, अवयस्क बच्चे जो आश्रित होने का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी व्दारा या सरकार व्दारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी व्दारा इस प्रकार अवधारित किए गए हों;

(ठ) उन समस्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इसमें प्रयुक्त हुए हैं और परिभाषित नही किये गये हैं, किन्तु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (केन्द्रीय अधिनियम, 1974 का 2), भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम 1860 का 45) या

मध्यप्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, क्रमशः वे ही अर्थ होंगे जो कि उक्त अधिनियमों में उन्हें दिए गए हैं।

3. अपराध पीड़ित प्रतिकर निधि का गठन.—

(क) "पीड़ित प्रतिकर निधि" के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा।

(ख) पीड़ित प्रतिकर निधि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी.—

(एक) राज्य द्वारा वार्षिक बजट में किया गया बजट आबंटन

(दो) संहिता की धारा 357 के अधीन संहिता द्वारा प्रदान किए गए प्रतिकर को पटाने के पश्चात् अधिरोपित जुर्मानों की राशि की प्राप्ति

(तीन) अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय पूर्त संस्थाओं, संगठनों तथा व्यक्तियों से प्राप्त दान तथा अभिदान।

(ग) निधि की राशि नवीन खाता शीर्ष के अधीन लोक लेखा में रखी जाएगी।

(घ) विद्यमान खाता शीर्ष जिसमें कि संहिता की धारा 357 के अनुसार जुर्माने तथा शुल्क (फीस) जमा किए जाते हैं, नए खोले गए खाता शीर्ष में जमा किए जाएंगे।

(ङ) योजना का विनियमन करने, उसे प्रशासित करने तथा उसकी मानीटरिंग करने के लिए गृह विभाग नोडल विभाग होगा।

(च) मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का सदस्य सचिव, स्कीम नं0 03 के अधीन गठित निधि का संचालन करेगा;

(छ) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण योजना के अधीन इसके कृत्यों के लिए तथा राज्य सरकार द्वारा उन्हें आबंटित की गई राशियों की नोडल विभाग के माध्यम से कालिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

4 **योजना की निगरानी.**— योजना की निगरानी करने के लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियां गठित की जाएंगी और जो निम्नलिखित से मिलकर बनेंगी:—

राज्य स्तरीय

(एक) प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन,गृह विभाग	—	अध्यक्ष
(दो) प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग	—	सदस्य
(तीन) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, म.प्र. शासन	—	सदस्य
(चार) उप सचिव, म0प्र0 शासन, गृह विभाग	—	सचिव

जिला स्तरीय समिति

(एक) जिले का जिला एवं सत्र न्यायाधीश	—	अध्यक्ष
(दो) जिले का जिला दण्डाधिकारी	—	सदस्य
(तीन) जिले का जिला पुलिस अधीक्षक	—	सदस्य
(चार) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	—	सचिव

(क) राज्य स्तरीय समिति द्वारा लंबित आवेदनों एवं अपीलों की समीक्षा बैठक त्रैमासिक आधार पर की जाएगी।

(ख) राज्य विधिक प्राधिकरण राज्य स्तरीय डाटा संबंधित जिलों से एकत्रित करने के पश्चात् राज्य स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेगा।

(ग) जिला स्तरीय समिति प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में लंबित प्रकरणों का परीक्षण और पुनरावलोकन करेगी।

5. **प्रतिकर के लिए पात्रता.**— निम्नलिखित मामलों में पीड़ित अथवा उसका आश्रित योजना के अधीन प्रतिकर प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, अर्थात् :—

(1) जहां कि संहिता की धारा 357—क की उपधारा (2) अथवा (3) के अधीन न्यायालय द्वारा कोई सिफारिश की जाती है, तो जिला विधिक प्राधिकरण अथवा राज्य विधिक प्राधिकरण प्रतिकर की राशि का निर्धारण करेगा।

(2) जहां कि विचारण न्यायालय, विचारण की समाप्ति पर कोई सिफारिश करता है, जबकि इस बात का समाधान हो जाता है कि संहिता की धारा 357 के अधीन प्रदान किया गया प्रतिकर ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है अथवा

जहां कि मामले में दोषमुक्ति या उन्मोचन हो जाता है और पीड़ित का पुनर्वास किया जाना है, अथवा

(3) जहां कि अपराधी को खोजा या पहचाना नहीं गया है परंतु पीड़ित की पहचान की गई है और जहां कोई विचारण नहीं होता है अथवा विचारण न्यायालय द्वारा पीड़ित को प्रतिकर अदायगी के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया हो और वहां पीड़ित या उसका आश्रित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है।

(4) वह अपराध, जिसके कारण योजना के अधीन प्रतिकर का भुगतान किया जाना है, राज्य के भीतर घटित हुआ हो, या राज्य के भीतर घटना की शुरूआत हुई हो।

अपवाद— यदि अपराध राज्य के बाहर घटित हो और पीड़ित राज्य की सीमा के भीतर पाया जाता है तो वह संहिता की धारा 357— क की उप—धारा (6) के अधीन अनुध्यात अंतरिम अनुतोष के लिए पात्र होगा।

6. प्रतिकर प्रदान करने की प्रक्रिया .—

(1) संहिता की धारा 357 क की उप—धारा (4) के अधीन आवेदन पर, विचारण न्यायालय, अपीलीय न्यायालय, उच्च न्यायालय या जिला एवं सत्र न्यायालय जो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, उनके द्वारा सिफारिश प्राप्त होने पर राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समुचित प्राधिकारी के माध्यम से सम्यक् जांच के पश्चात् जैसा कि राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उचित समझे, दो माह के भीतर जांच पूर्ण करके पर्याप्त प्रतिकर प्रदान करेगा ।

(2) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पीड़ित को अपराध से उद्भूत हानि या क्षति से संबंधित दावे की विषयवस्तु का परीक्षण एवं सत्यापन करेगा। प्राधिकरण, दावे की सत्यता निर्धारित करने के लिए आवश्यक सुसंगत जानकारी मंगा सकेगा। दावे का सत्यापन और सम्यक् जांच करने के पश्चात्, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, योजना के उपबंधों के अनुसार दो माह के भीतर पर्याप्त प्रतिकर प्रदान करेगा।

(3) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के पुलिस अधिकारी या न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या संबंधित क्षेत्र के सक्षम चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण—पत्र पर तत्काल प्राथमिक उपचार सुविधा या चिकित्सा लाभों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु या किसी अन्य अंतरिम अनुतोष का, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा उचित समझा जाए, आदेश दे सकेगा।

(4) प्रतिकर की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा योजना से संलग्न अनुसूची में दिए गए मानक मानदण्डों के आधार पर विनिश्चित की जाएगी।

(5) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यथा विनिश्चित प्रतिकर एक मुश्त या दो किश्तों में संदत्त किया जाएगा।

(6) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनुशंसा की प्राप्ति के साठ दिवस के भीतर संहिता की धारा 357 क की उपधारा (2) तथा (3) के अधीन प्रतिकर की मात्रा विनिश्चित करेगा।

(7) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पीड़ित को कारित हानि, उपचार पर हुए चिकित्सा व्यय, पुनर्वास हेतु अपेक्षित न्यूनतम निवर्हन राशि के आधार पर प्रतिकर की मात्रा विनिश्चित करेगा।

(8) बलात्संग वाइडर ट्रॉमा के पीड़ित को प्रतिकर के मामले में, संबंधित जिले के परिवीक्षा अधिकारी को प्रभावी पुनर्वास तथा सतत् मूल्यांकन के लिए सूचित किया जाएगा।

(9) यदि विचारण न्यायालय, प्रतिकर के अनुतोष के पश्चात् की तारीख में निर्णय पारित करते समय संहिता की धारा 357 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिकर के रूप में अभियुक्त को रकम संदत्त करने के लिए आदेश करता है तो अभियुक्त, संहिता की धारा 357 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिकर की रकम के बराबर या संदत्त की जाने वाली आदेशित रकम, जो भी कम हो, देगा । पीड़ित या उसके दावेदार द्वारा, प्रतिकर की रकम के संवितरण के पूर्व इस प्रभाव का एक वचनबंध दिया जाएगा।

(10) योजना के अधीन विनिश्चित प्रतिकर की रकम पीड़ित प्रतिकर निधि से पीड़ित या उसके आश्रित को संवितरित की जाएगी। किसी अन्य अधिनियम के अधीन या राज्य की कोई अन्य स्कीम के अधीन अपराध के संबंध में कोई प्रश्न अर्थात् बीमा, जिसकी किश्तों का भुगतान राज्य अथवा केन्द्र शासन द्वारा किया गया हो से प्राप्त अनुग्रह राशि या प्राप्त भुगतान से पीड़ित को प्राप्त होगा, इस स्कीम के अधीन प्रतिकर की रकम का एक अंश के रूप में विचारण किया जाएगा, पीड़ित

या उसके आश्रित जो उपरोक्त उल्लिखित समस्त स्त्रोतों से प्रतिकर की रकम प्राप्त करता है इस योजना के अधीन प्रतिकर का एक भाग समझा जाएगा तथा इस योजना के अधीन पृथक् प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। उपरोक्त समस्त स्त्रोतों से प्राप्त राशियां अनुसूची में प्रदत्त प्रतिकर की राशि से कम हो तो बकाया रकम निधि से प्रदाय की जाएगी।

(11) मोटरयान अधिनियम, 1988 (केन्द्रीय अधिनियम 1988 का 59) के अधीन आने वाले मामले, जिनमें मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण द्वारा अनुतोष पारित किया जाता है, इस योजना में सम्मिलित नहीं होंगे।

(12) पीड़ित पक्षकार की समग्र स्त्रोतों से वार्षिक आय 5.00 लाख रूपये से अधिक होने पर अनुसूची एक में दी गई समस्त शीर्षों में प्रतिकर राशि 50 प्रतिशत देय होगी।

(13) इस स्कीम के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा, पारित प्रतिकर के आदेश की एक प्रति, संहिता की धारा 357 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिकर के आदेश पारित करने में समर्थ बनाने के लिए विचारण न्यायालय के अभिलेख में रखी जाएगी।

(14) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पीड़ित या उसके आश्रित को प्रदत्त प्रतिकर राशि की वसूली के लिए विधि के सक्षम न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियां संस्थित करेगा यदि बाद में वे अपात्र पाए जाते हैं या किसी अन्य अपराध में न्यायालय व्दारा दोषी करार दिए गए हों।

7. **प्रतिकर का संवितरण.–**

(1) प्रतिकर का संवितरण बैंक खाते से जुड़े आधार के माध्यम से किया जाएगा

(2) पीड़ित, जो कि अवयस्क है, के मामले में, प्रतिकर की राशि अवयस्क के खाते में सावधि निक्षेप के रुप में, जमा की जाएगी, जो केवल उसके वयस्क होने पर ही निकाली जा सकेगी, आपवादिक मामलों में प्रतिकर की राशि, शैक्षणिक अथवा चिकित्सीय आवश्यकताओं के लाभ हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपील प्राधिकारी द्वारा निर्णीत सक्षम व्यक्ति द्वारा निकाली जा सकती है ।

(3) अम्ल हमले के मामले में, ऐसे पीड़ित को ऐसी घटना होने के 15 दिवस के भीतर रुपए 1 लाख (एक लाख) संदत्त किया जाएगा ।

8. **प्रतिकर का नामंजूर किया जाना, रोकना अथवा कम करना.–**

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतिकर की राशि नामंजूर कर सकेगा, रोक सकेगा एवं कम कर सकेगा, जहां कि प्राधिकरण यह समझता है कि :–

(क) आवेदक, बिना युक्तियुक्त देरी के पुलिस अधिकारी को अपराध की सूचना देने में असफल रहा है;

(ख) आवेदक, अभियुक्त को न्यायाधिपति के समक्ष लाने में पुलिस अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकारी के साथ सहयोग करने में असफल रहा है।

(ग) आवेदक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा आवेदक से संबंधित अन्य किसी प्राधिकारी को युक्तियुक्त सहायता देने में असफल रहा है ;

(घ) पीड़ित की पात्रता जो तथ्यों तथा मामले की परिस्थितियो से प्रकट होती हों, प्रतिकर की राशि को न्यायोचित नहीं ठहराती हों।

9. आश्रित होने का प्रमाण–पत्र.–

प्रार्थी की तहसील के तहसीलदार या शासन द्वारा समय–समय पर नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा आश्रित प्रमाण–पत्र प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र जमा करने के पन्द्रह दिवस के अंदर जारी करेगा।

10. समय सीमा .–

पीड़ित अथवा उसके आश्रित द्वारा संहिता की धारा 357 क की उपधारा (4) के अधीन किया गया कोई भी दावा, अपराध घटित होने के एक सौ अस्सी दिवस की अवधि के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यदि उसका समाधान हो जाता है तो लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, उक्त दावे को फाइल करने में हुई देरी को माफ कर सकेगा ।

11. अपील.–

(1) कोई पीड़ित अथवा उसका आश्रित जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व्दारा उसके दावे के खारिज किये जाने से व्यथित हो, नब्बे दिवस की कालावधि के भीतर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपील फाइल कर सकता है ।

(2) प्रथम अपील प्राधिकारी जैसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विनिश्चय के विरूध्द आदेश के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि के भीतर द्वितीय अपील, सरकार के गृह विभाग को की जाएगी और द्वितीय अपील प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगाः

परंतु यदि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/सरकार का समाधान हो गया है तो वह लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले पर्याप्त कारणों से अपील फाइल करने में हुए विलंब के लिए माफी दे सकेगी।

(3) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया तथा आवेदक द्वारा स्वीकार किया गया कोई विनिश्चय सामान्य तौर पर अंतिम माना जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/सरकार यद्यपि बाद में किसी मामले को पुनः खोल सकेगी जहां कि पीड़ित की चिकित्सीय अवस्था में ऐसा सारवान परिवर्तन हो गया है यदि प्रतिकर मूल निर्धारण के ज्यों का त्यों रखा जाना अनुज्ञात किये जाने से अन्याय हो सकता है अथवा जहां कि उपहति के परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो गई है।

अनुसूची
पीड़ित को क्षति/हानि पर प्रतिकर राशि

नोट :— पीड़ित पक्षकार की समग्र स्त्रोतों से वार्षिक आय 5.00 लाख रूपए से अधिक होने पर प्रतिकर राशि 50 प्रतिशत देय होगी।

स.क्र.	हानि या क्षति का विवरण	प्रतिकर की अधिकतम सीमा	
01	(क) जीवन की हानि (मृत्यु)	क. आय अर्जित करने वाले की मृत्यु की दशा में	अधिकतम रूपए 4.00 लाख तक
		ख. आय अर्जित न करने वाले की मृत्यु की दशा में	अधिकतम रूपए 2.00 लाख तक
	(ख) भ्रूण की हानि या क्षति		रूपए 50 हजार तथा शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज
02	शरीर में 100 प्रतिशत स्थायी निःशक्तता होने पर।	क. जहां पीडित आय अर्जित करता हो।	अधिकतम रूपए 3.00 लाख तक (शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज)
		ख. जहां पीडित कोई आय अर्जित न करता हो।	अधिकतम रूपए 1.50 लाख तक (शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज)
03	शरीर में स्थायी निःशक्तता 40 प्रतिशत से अधिक होने पर।	क. जहां पीड़ित आय अर्जित करता हो।	अधिकतम रूपए 2.00 लाख तक (शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज)
		ख. जहां पीड़ित कोई आय अर्जित न करता हो।	अधिकतम रूपए 1.00 लाख तक (शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज)
04	(क) महिला की प्रजनन क्षमता की स्थायी क्षति (बलात्कार को छोड़कर अन्य आपराधिक घटना में)		अधिकतम रूपए 1.50 लाख तथा (शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज)

	(ख) शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर गंभीर चोट अथवा शल्य क्रिया	क. जहां पीड़ित आय अर्जित करता हो।	अधिकतम रूपए 50 हजार तक (शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज)
		ख. जहां पीड़ित कोई आय अर्जित न करता हो।	अधिकतम रूपए 25 हजार तक (शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज)
05	(क) सामूहिक बलात्कार		अधिकतम रूपए 3.00 लाख तथा शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज।
	(ख) अवयस्क बच्चों के साथ लैंगिक अपराध		अधिकतम रूपए 2.00 लाख तथा शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज।
06	(क) एसिड अटैक से कुरूपता 40 प्रतिशत से अधिक होने पर		अधिकतम रूपए 3.00 लाख तक जिसमें से 1.00 लाख रूपए सूचना दिनांक के 15 दिवस के अंदर एवं शेष राशि 2.00 लाख रूपए दो माह के अंदर तथा शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज।
	(ख) एसिड अटैक से कुरूपता 40 प्रतिशत से कम होने पर		अधिकतम रूपए 1.50 लाख तक जिसमें से 50 हजार रूपए सूचना दिनांक के 15 दिवस के अंदर एवं शेष राशि दो माह के अंदर तथा शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज।

Madhya Pradesh Crime Victim Compensation Scheme, 2015

S.No. 1686-2015-two-C-1.—

In exercise of the powers conferred by section 357A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the State Government in co-ordination with the Central Government, hereby make the following scheme for providing funds for the purpose of compensation and deciding the quantum of compensation to the crime victims or their dependents, according to their financial status, who have suffered loss or injury as a result of the crime and who require rehabilitation, namely:-

1. Short title, extent and commencement. -

(a) This scheme may be called the Madhya Pradesh Crime Victim Compensation Scheme, 2015.

(b) It shall extend to the whole State of Madhya Pradesh.

(c) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions. - In this scheme, unless the context otherwise requires,—

(a) "applicant" means a victim or the dependent of a victim who applies for compensation;

(b) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974);

(c) "Fund" means the Victim Compensation Fund constituted under para 3 of the said Scheme;

(d) "injury" means any injury specified in the Schedule appended to this Scheme;

(e) "loss", includes loss to any property occurred as a result of an injury caused by reason of the criminal act or omission on the part of the accused;

(f) "offence" means, any act or omission made punishable by any law for the time being in force and includes any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Catttle-trespass Act, 1871 (No. 1 of 1871);

(g) "probation officer" means an officer appointed by the State Government as a Probation Officer under section 13 of the Probation of Offenders Act, 1958 (No. 20 of 1958);

(h) "schedule" means the Schedule appended to this scheme;

(i) "State" means the State of Madhya Pradesh:

(j) "victim" means a person who has suffered any loss or injury caused by reason of the criminal act or omission on the part of the accused and who requires rehabilitation under this scheme and includes the guardian or legal heir of such person, but does not include a person who is responsible for injury to such person;

(k) "dependent" means and includes wife, husband, father, mother, unmarried daughter and minor children of victim as determined by the authority empowered to issue dependency certificate or any other authority authorized by Government in this regard;

(l) all other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Criminal Procedure Code, 1973 (No. 2 of 1974), Indian Penal Code. 1860 (No. 45 or 1860) or the Madhya Pradesh General Clauses Act have the same meanings respectively as assigned to them in the said Acts.

3. Constitution of Crime Victim Compensation Fund.-

(a) There shall be constituted a Fund to be called by the "Victim Compensation Fund"

(b) The Victim Compensation Fund shall consist of: -

(i) Budgetary allocation made in the annual budget by the State;

(ii) Receipt of amount of fines imposed-under section 357 of the Code;

(iii) Donations and contributions received from International or National Charitable Institutions, Organizations and individuals.

(c) The amount in the Fund shall be deposited in Public Account under a new head of account.

(d) The existing head of account in which the fines and fees are deposited as per section 357 of the Code have to be credited to the newly opened head of account.

(e) The Home Department shall be the Nodal Department for regulating, administering and monitoring the said scheme.

(f) The Member-Secretary of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority shall operate the fund constituted under the Scheme.

(g) The State Legal Service Authority shall be accountable for its functions under the scheme and also for furnishing periodical returns of the amounts allotted to them by the State Government through the Nodal Department.

4. Monitoring of Scheme:- For the purpose of monitoring the scheme the State and District level Committees shall be constituted and shall consist of the following:-

State Level Committee

(i)	Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh Home Department	-	Chairman
(ii)	Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh Law and Legislative Affairs Department	-	Member
(iii)	State Legal Services Authority, Government of Madhya Pradesh	-	Member
(iv)	Deputy Secretary, Government of Madhya Pradesh Home Department	-	Secretary

District Level Committee

(i)	District and Sessions Judge of the District	-	Chairman
(ii)	District Magistrate of the District	-	Member
(iii)	District Superintendent of Police of the District	-	Member
(iv)	District Legal Services Authority	-	Secretary

(a) The State Level Committee shall hold quarterly meeting to review the pendency of applications and appeals.

(b) The State Legal Service Authority, shall present state level data after collecting the data from the concerned district and shall submit to the State Level Committee.

(c) The district level committee shall meet and review the pending cases in the first week of every month.

5. Eligibility for Compensation.—

The victim or his dependent shall he eligible for compensation under the scheme in the following cases, namely:-

(1) Where a recommendation is made by the Court under sub-section (2) or sub-section (3) of section, 357 A of the Code, the District Legal Services Authority or State Legal Services Authority will decide the amount of compensation.

(2) Where the trial Court makes a recommendation, on conclusion of the trial, when it is satisfied that the compensation awarded under section 357 of the Code is not adequate for such rehabilitation or where the case ends in acquittal or discharge and the victim has to be rehabilitated, or

(3) Where the offender is not traced or identified, but the victim is identified and where no trial takes place or the Trial Court has not passed any order for award/compensation to the victim and in which case, the victim or his dependent may make an application to the District Legal Services Authority;

(4) The crime, on account of which the compensation is to be paid under the scheme, should have been occurred within the State or crime started in the State.

Exception.—In case, the crime has occurred outside the State and the victim is found within the limit of the State, he shall be eligible for interim relief contemplated under sub-section (6) of section 357-A of the Code.

6. Procedure for grant of compensation.—

(1) On receipt of the recommendation by the trial court, Appellate Court, High Court or Court of Session when exercising its power on application under sub-section (4) of section 357-A of the Code, the State or the District Legal Services Authority shall, after due enquiry through appropriate authority as deemed fit by the State or the District Legal Services Authority, award adequate compensation by completing the enquiry within two months.

(2) The District Legal Services Authority shall examine and verify the contents of the claim with regard to the loss or injury caused to the victim and arising out of the crime. The Authority may call for any relevant information's necessary to determine the genuineness of the claim. After verifying the claim and conducting due enquiry, the District Legal Services Authority shall award adequate compensation within two months, in accordance with the provisions of the scheme.

(3) The District Legal Services Authority may order for immediate first-aid facility or medical benefits to be made available free of cost, on the certificate of the Police Officer not below the rank of an officer-in-charge of the police station or a Judicial or Executive Magistrate or a competent medical officer of the area concerned or any other interim relief as deemed fit by the Authority.

(4) The amount of compensation will be decided by the District Legal Services Authority based on the standard criteria given in the Schedule appended to the scheme.

(5) Compensation shall be paid as a single lump sum or in two installments as decided by the District Legal Services Authority.

(6) The District Legal Services Authority shall decide the quantum of compensation under sub-section (2) and (3) of section 357-A of the Code within sixty days of the receipt of the recommendation.

(7) The District Legal Services Authority shall decide the quantum of compensation on the basis of loss caused to the victim, medical expenses occurred on treatment, minimum sustenance amount required for rehabilitation.

(8) In the case of compensation to victim of rape/victim wider trauma, the matter shall be informed to the probation officer in the district concerned for effective rehabilitation and continuous evaluation.

(9) If the trial court, while passing judgment at a date later than the award of compensation, order the accused person to pay any amount by way of compensation under sub-section (3) of section 357 of the Code, the accused person shall remit an amount equal to the amount of compensation or the amount ordered to be paid under sub-section (3) of section 357 of the Code, whichever is less. An undertaking to this effect shall be given by the victim or his claimant before the disbursal of the compensation amount.

(10) The amount of compensation decided under the scheme shall be disbursed to the victim or his dependent from the Victim Compensation Fund. Compensation received by the victim from the State in relation to crime in question, namely, insurance whose premium has been paid by the State or Central Government, ex-gratia or payment received under any other Act or any other State scheme, shall be considered as part of the compensation amount under this scheme. The victim or his

dependent who has received compensation amount from collateral sources mentioned above shall be deemed to have been compensated under this scheme and shall not be entitled to separate compensation under this scheme. If the eligible compensation amount exceeds the payment received by the victim from collateral sources mentioned above, the balance amount shall be paid out of the Fund.

(11) The cases covered under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) wherein compensation is to be awarded by the Motor Accidents Claims Tribunal, shall not be covered under the scheme.

(12) If the annual income of the victim person, from all the sources of income, exceeds Rupees Five Lakh (Rupees 5 Lakh) then, the compensation as given in different categories of Schedule, amount payable would be 50 % (Fifty Percent only)

(13) Copy of the order of compensation passed by the District Legal Services Authority under this scheme shall be placed on record of the trial court to enable the court to pass an order of compensation under sub-section (3) of section 357 of the Code.

(14) The District Legal Services Authority, shall institute proceedings before the competent court of law for recovery of the compensation, granted to the victim or his dependent, from the accused if found ineligible later.

7. Disbursement of compensation.-

(1) Disbursement of compensation will be done, through the Aadhar linked bank account.

(2) In the case of a victim who is a minor, the amount of Compensation awarded shall he deposited in the account of the minor as fixed deposit,

to be withdrawn only on attainment of his majority. In exceptional cases, the amount of compensation can be withdrawn for educational or medical needs of the beneficiary by the competent person as decided by the District Legal Services Authority / Appeal Authorities.

(3) In case of acid attack a sum of 1 lakh (one lakh) shall be paid to such victim within 15 days of such incidents.

8. Rejection, withholding or reduction of compensation.-

The District Legal Services Authority may reject, withhold or reduce the award of compensation where the Authority considers that: -

(a) The applicant failed to inform the crime to the Police Officer without reasonable delay:

(b) The applicant failed to co-operate with the police officer or other Authority to bring the accused before justice;

(c) The applicant failed to give all reasonable assistance to the District Legal Services Authority or other related authorities in connection with the application.

(d) The eligibility of the victim as shown by the facts and circumstances of the case does not justify award of compensation.

9. Dependency Certificate.—

The Tehsildar concerned or the authority designated as competent authority by the Government from time to time, shall
issue Dependency Certificate within a period of fifteen days from the date of the application.

10. Limitation.—

No claim made by the victim or his dependent under sub-section (4) of section 357 A of the Code shall be entertained after a period of one hundred and eighty days from the occurrence of the crime. The District Legal Services Authority, if satisfied, for reasons to be recorded in writing, may condone the delay in filing the said claim.

11. Appeal. —

(1) Any victim or his dependents aggrieved by the rejection of his/her claim by the District Legal Services Authority may file an appeal before the State Legal Services Authority within a period of ninety days;

(2) A second appeal shall lie to Government in Home Department against the decision of 1st Appeal Authority, viz. State Legal Services Authority within a period of 30 days from the date of decision of the first Appeal Authority and the decision of second Appeal Authority shall be final:

Provided that the State Legal Services Authority/Government if satisfied, for sufficient reasons to be recorded in writing, may condone the delay in filing the appeal.

(3) A decision made by the District Legal Services Authority and accepted by the applicant will normally be considered as final; The State Legal Services Authority/Government may, however, subsequently re-open a case where there has been such a material change in the medical condition of the victim that injustice would occur if the original assessment of compensation were allowed to stand, or where the victim has died in consequence of the injury.

SCHEDULE

COMPENSATION TO VICTIMS FOR INJURY/LOSS

Note:- If annual income of the victim person, from all the sources of income, exceeds Rupees Five Lakh (Rupees 5 Lakh) then, the compensation amount payable would be 50 % of the limit prescribed.

Sl.No.	Details of Loss or Injury	Maximum limit of Compensation	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	a. Loss of life (Death)	a. Death of an earning member	Maximum upto Rs. 4.00 lakh
		b. Death of a non earning member.	Maximum upto Rs. 2.00 lakh
	b. Loss of Fetus		Maximum upto Rs.50,000 and Free medical treatment in Government Hospitals
2.	In case of permanent disability being 100%	a. Victim being the earning member	Maximum upto Rs. 3.00 lakh (Free medical treatment in Government Hospital)
		b. Victim not being the earning member	Maximum upto Rs. 1.50 lakh (Free medical treatment in Government Hospital)
3.	In case of permanent disability being more than 40%	a. Victim being the earning member	Maximum upto Rs. 2.00 lakh (Free medical treatment in Government Hospital)
		b. Victim not being the earning member	Maximum upto Rs. 1.00 lakh (Free medical treatment in Government Hospital)

4.	(a) Loss of fertility (due to other criminal incident except rape)		Maximum upto Rs. 1.50 lakh (free medical treatment in Government hospitals)
	(b) Serious injury to vital part of body or surgery	a. Victim being the earning member	Maximum upto Rs. 50,000 (Free medical treatment in Government Hospital)
		b. Victim not being the earning member	Maximum upto Rs. 25,000 (Free medical treatment in Government Hospital)
5.	a. Gang Rape.	Maximum upto Rs. 3.00 lakh and Free medical treatment in Government Hospital	
	b. Sexual crime with minors	Maximum upto Rs. 2.00 lakh and Free medical treatment in Government Hospital	
6.	a. Acid attack leading to disfiguration of more than 40%	Maximum upto Rs. 3.00 lakh out of which Rs. 1.00 lakh to be paid within 15 days of intimation date and balance amount Maximum Rs. 2.00 lakh within 2 months and Free medical treatment in Government Hospital	
	b. Acid attack leading to disfiguration of less than 40%	Maximum upto Rs. 1.50 lakh out of which Rs. 50,000 to be paid within 15 days of intimation date and balance amount within 2 months and free medical treatment in Government hospital	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देव प्रकाश गुप्ता, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.